कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति भोपाल

क्रमांक ..../एम.सी./अराज/5/2025 भोपाल, दिनांक ..../11/2025

//आदेश //

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 41441–48/एम.सी./अराज–5/2024 भोपाल दिनांक 27.11.2024 के द्वारा प्रेषित भर्ती प्रस्ताव के आधार पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा परीक्षा उपरांत जारी मेरिट अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/02–79/2025/08/प–2/3197/2025 भोपाल, दिनांक 05.05.2025 के परिपेक्ष्य में कार्यालयीन सूचना 34189/एम.सी./अराज–5/2025 . दिनांक 08.09.2025 एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक 34960–80/एम.सी./अराज–5/2025 भोपाल दिनांक 15.09.2025 के द्वारा स्क्रूटनी एवं दस्तावेज सत्यापन समिति गठित कर दिनांक 16.09.2025 एवं 17.09.2025 को मेरिट एवं मेरिट प्रतीक्षारत सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं स्क्रूटनी के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंद्ध चिकित्सालयों हेतु रिक्त पदों पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सातवें वेतनमान का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी एवं समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत भत्तों पर कार्यग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक 03 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी नियुक्ति प्रदान की जाती है। इनकी पदस्थापना क्षेत्रीय श्वसन रोग संस्थान (RIRD) भोपाल मे की जाती है। नियुक्ति की सेवा शर्तों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	चयनित पदनाम/	संवर्ग	वेतनमान
1	रोहित कुर्मी पुत्र श्री धनप्रसाद	एलर्जी टेक्नीशियन	अनारक्षित	28700–91300(मेट्रिक्स लेवल–7 इण्डेक्स–1)
2	अजय अहिरवार पुत्र श्री राजु प्रसाद	पी.एफ.टी. टेक्नीशियन	अनारक्षित	28700–91300(मेट्रिक्स लेवल–7 इण्डेक्स–1)
3	महेन्द्र यादव पुत्र श्री छोटेलाल यादव	पी.एफ.टी. टेक्नीशियन	अन्य पिछड़ा वर्ग	28700–91300(मेट्रिक्स लेवल–7 इण्डेक्स–1)
4	संदीप कुमार पुत्र श्री नन्दलाल	वेन्टीलेटर टेक्नीशियन	अनारक्षित	28700–91300(मेट्रिक्स लेवल–7 इण्डेक्स–1)
5	तुलसीराम लोधी पुत्र श्री नन्दराम लोधी	वेन्टीलेटर टेक्नीशियन	अन्य पिछड़ा वर्ग	28700–91300(मेट्रिक्स लेवल–7 इण्डेक्स–1)
6	कार्तिक बाजपेई पुत्र श्री विवेक कुमार	ओ.टी. टेक्नीशियन	अनारक्षित	28700–91300(मेट्रिक्स लेवल–7 इण्डेक्स–1)
7	आकाश रजक पुत्र श्री समन्दर सिंह	ओ.टी. टेक्नीशियन	अन्य पिछड़ा वर्ग	28700–91300(मेट्रिक्स लेवल–7 इण्डेक्स–1)
8	संतोषी उलादी पुत्री श्री रामप्रसाद	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	अनारक्षित	28700–91300(मेट्रिक्स लेवल–7 इण्डेक्स–1)
9	चेतन खेवसिया पुत्र श्री श्यामलाल	स्लीप टेक्नीशियन	अनारक्षित	28700–91300(मेट्रिक्स लेवल–7 इण्डेक्स–1)
10	देवेन्द्र यादव पुत्र श्री शिवराज सिंह	ओ.टी. अटेन्डेन्ट	अनारक्षित	16100–50900(मेट्रिक्स लेवल–2 इण्डेक्स–1)
11	हर्ष भार्गव पुत्र श्री जय नारायण भार्गव	डार्क रूम अटेन्डेन्ट	अनारक्षित	16100–50900(मेट्रिक्स लेवल–2 इण्डेक्स–1)
12	अजय कुमार मीणा पुत्र श्री मन्टीलाल मीणा	डार्क रूम अटेन्डेन्ट	अन्य पिछड़ा वर्ग	16100–50900(मेट्रिक्स लेवल–2 इण्डेक्स–1)
13	हर्ष भार्गव पुत्र श्री जय नारायण भार्गव	लैब अटेन्डेन्ट	अनारक्षित	15500–49000(मेट्रिक्स लेवल–1 इण्डेक्स–1)
14	सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह	लैब अटेन्डेन्ट	अनारक्षित	15500–49000(मेट्रिक्स लेवल–1 इण्डेक्स–1)
15	आसमा परवेज पुत्री श्री शाहिद परवेज	लैब अटेन्डेन्ट	अन्य पिछड़ा वर्ग	15500–49000(मेट्रिक्स लेवल–1 इण्डेक्स–1)

निरंतर——2

Scanned with OKEN Scanner

नियुक्ति की शर्तें:–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, यह मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 (सह चिकित्सकीय संवर्ग) के तहत इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तो के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तो मे आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
2. चयनित प्रत्याशी को 100/– रूपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
3. चयनित कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण के साथ 500/–रूपये के स्टाम्प पर बॉण्ड प्रस्तुत करना होगा, की मैं शासन नियमों के तहत तीन वर्षीय सेवा पूर्ण होने का बॉण्ड कर रहा/रही हूँ।
4. चयनित प्रत्याशी पर मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी. 3–13/2019/3/एक भोपाल दिनॉक 12–12–2019 के बिन्दु (v) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 8(1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत पर रखा जाता है।
5. चयनित प्रत्याशी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा की पुष्टि मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद भोपाल/फार्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा कराई जावेगी। यह नियुक्ति इस सशर्त पर प्रदान की जाती हैं, कि यदि कोई त्रुटि/कमी पाई गई तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।
6. चयनित प्रत्याशी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर (शासकीय कार्य दिवस में) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
7. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अंदर मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण पत्र की प्रमाणित मूल प्रतिलिपि प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण मान्य किया जावेगा
8. चिकित्सा महाविद्यालय के संविलियन एवं संवर्धन नियमों के अंतर्गत स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता शासन नियमों के तहत होगी।
9. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक–एक छायाप्रतियां (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ–7–2 /96 /आप्र/1 दि 1/08/96 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जायेगा।
11. चयनित प्रत्याशी को आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत अवकाश लेने की पात्रता होगी।
12. चयनित प्रत्याशी द्वारा यदि परीवीक्षा अवधि में त्याग पत्र दिया जाता है तो नियुक्ति शर्त अनुसार बॉण्ड की राशि जमा करना अनिवार्य होगा तथा परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत यदि चयनित उम्मीदवार त्याग पत्र देता है तो एक माह का वेतन जमा कर अथवा एक माह पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा।
13. चयनित प्रत्याशी म0प्र0सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन शासित होगे।
14. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों एवं हड़ताल आदि मे भाग लेने की अनुमति नही होगी एवं संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
15. पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
16. नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि लागू हो तो।
17. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तें परिवर्तित की जा सकती है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तो पर भी हो सकता हैं।
18. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
19. चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष के अंदर कम्प्यूटर में Window Basic एवं Microsoft Office का ज्ञान अर्जित करना अनिवार्य है एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता दर्शानी होगी।

निरंतर——3

Scanned with OKEN Scanner

20. इस नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रोस्टर अनुमोदन के उपरांत रोस्टर अनुसार किया जावेगा।
21. चयनित उम्मीदवार बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
22. चयनित उम्मीदवार इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुऐ किसी अन्य संस्था मे रोजगार के लिये सीधे आवेदन नही दे सकते है।
23. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
24. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–9/3/2005/नियम/चार दिनॉक 2–4–2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नही होगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क एफ–5/1/2005/नियम/चार दिनॉक 2–4–2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नही होगे।
25. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम (6) जिसमें प्रावधान अनुसार 26.जनवरी 2001 के बाद दो बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।
26. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

पृ. क्रमांक 41632-56/एम.सी./अराज–5/2025 भोपाल, दिनांक 4/11/2025

प्रतिलिपि–

1. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।
2. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल संभाग, भोपाल।
4. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय,भोपाल।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल।
6. अधीक्षक, क्षय चिकित्सालय भोपाल को भेजकर लेख है कि उपरोक्त चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति से संबंधित कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
7. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, क्षेत्रिय श्वसन रोग संस्थान (RIRD) भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित कर्मचारी का वेतन नियमानुसार रिक्त पद से आहरित किया जावें।
8. प्रभारी अधिकारी, स्वशासी/गोपनीय शाखा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
9. संबंधित कर्मचारी श्री/कु.......................................पदनामः–............................ की ओर पालनार्थ।
10. आदेश नस्ति/व्यक्तिगत नस्ति

4/11/25

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner